बी0 ए0, खण्ड–।।
अर्थशास्त्र (सम्मान)– तृतीय पत्र

डॉ बिपिन कुमार
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
राम रतन सिंह महाविद्यालय, मोकामा
पी0 पी0 यू0, पटना।
मो0–9430064013
ईमेल–kbipin29@yahoo. Com

'भारत की जनसंख्या नीति'

देश की जनसंख्या वृद्धि को सर्वप्रमुख समस्या मानते हुए छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के परिपेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को 'नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000' की घोषणाकी गई। इस जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य देश में गर्भ निरोधको की आपूर्ति करना, स्वास्थयकर्मियों की नियुक्ति करना, सुरक्षा ढांचे का विस्तार और उसे मजबूती प्रदान करना, छोटे परिवार को बढ़ावा देना और प्रजनन क्षमता की दर को (2:1) अनुपात में वर्ष 2010 तक लाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसके साथ ही सभी जनसंख्या नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस नीति की प्रमुख बातो में जनसंख्या को एक ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने की बात कही गई है जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। हमारे देश की नई जनसंख्या नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैः

1. इस नीति के अंतर्गत जनसंख्या की नई सीमा के तहत लोक सभा की सीटो के पुनः निर्धारण की अवधि को अगले 35 वर्षो तक के लिए वढ़ा दिया गया है। मौजूदा संविधान के प्रावधानों के मुताबिक वर्ष 2001 तक लोक सभा की सीटों का सीमाकन सन् 1978 की जनसंख्या के आधार पर किया जाना था– अब इसे बढाकर वर्ष 2026 कर दिया गया है फिलहाल लोक सभा की सीटें वर्त्तमान की संख्या–543 ही बनी रहेगी। (2026 तक)
2. इसके तहत छोटे परिवार के निर्धारक के मानक को अपनाते हुए प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषद्ो को पुरूष्कृत करेंगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण का उपाय को आधिकारिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
3. गर्भपात की सुविधा योजना को और प्रभावी बनाया जायेगा।
4. जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा।
5. बुनियादी शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया जाएगा।
6. दो बच्चों तक के जन्म पर ग़रीबी रेखा से नीचे रहनेवाले दंपतियों को प्रत्येक के जन्म पर 500 रूपये उनके देखभाल के लिए दिए जाएँगे।
7. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वैसे दम्पतियों को पुरस्कृत किया जाएगा जो सरकार के द्वारा निर्धारित आयु क्रमशः लड़का एंव लड़की (21 वर्ष को 18 वर्ष) में विवाह करता हो, साथ ही प्रथम संतान के जन्म के समय माँ की उम्र 21 वर्ष हो।
8. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले दम्पतियों को छोटा परिवार रखने पर अर्थात् जो दो बच्चों के जन्म के बाद बन्ध्याकरण करा लिया हो उन्हें 5000 रूपये की 'स्वास्थय बीमा योजना मे शामिल किया जाएगा।
9. ग्रामीण ईलाकों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उधार शर्तो पर ऋण तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।
10. गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को 'परिवार नियोजन कार्यक्रम' से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उपरोक्त जनसंख्या नीति 'प्रो0 (डॉ0) एम0 एस0 स्वामीनाथन' की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन पर आधारित है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा (देखभाल) के लिए बेहतर एंव सर्व सुलभ सेवातंत्र की स्थापना पर आधारित है। इसके साथ ही गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राथमिक एंव बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी करने से संबंधित हे।